

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,  
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय –विभागान्तर्गत नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया के लिए दो ह्यूम पाईप पुलिया सहित 12 m wide cement concrete pavement पहुँच पथ के निर्माण कार्य के लिए रू. 46,57,500=00 (छियालीस लाख संतावन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8399(भ), दिनांक 07.08.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर विभागान्तर्गत नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया के लिए दो ह्यूम पाईप पुलिया सहित 12 m wide Cement Concrete Pavement Approach Road के निर्माण कार्य के लिए रू. 46,57,500=00 (छियालीस लाख संतावन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष - 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष- 105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या-3, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 03-4202021050105 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि का आवंटन, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, पूर्णिया को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/ विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णिया होंगे।

5. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, पूर्णिया से की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) भूमि –3/2017–

2427 /पटना, दिनांक– 10-9-2018

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail तथा विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

10/9/18